

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना

- प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना है, जिसे 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया।
- इस योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य देश में बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य पूरे देश में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों में महिलाओं के नाम पर 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है।

लाभ

- महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना
- जीवाश्म ईंधन के आधार पर खाना पकाने से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य खतरों को कम करना
- अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन के कारण भारत में मौतों की संख्या को कम करना
- जीवाश्म ईंधन को जलाने से इनडोर वायु प्रदूषण के कारण होने वाली तीव्र श्वसन बीमारियों से छोटे बच्चों को रोकना

पात्रता मापदंड

नीचे सूचीबद्ध योजना के लिए मूल पात्रता मानदंड हैं:

- आवेदक का नाम SECC-2011 डेटा की सूची में होना चाहिए
 - पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान SECC-2011 डेटा के आधार पर की जाएगी
 - आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होना चाहिए
 - महिला आवेदक को बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) से संबंधित होना चाहिए
 - महिला आवेदक का देश भर के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत बैंक खाता होना चाहिए
 - आवेदक के घर में पहले से ही किसी के नाम पर एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए
- पर विस्तृत पात्रता मानदंड

" <http://www.pmujjwalayojana.in/pradhan-mantri-ujjwala-yojana-eligibility-criteria/>

आवेदन कैसे करें

- 2 पेज का उज्ज्वला योजना KYC एप्लीकेशन फॉर्म भरें
- उज्ज्वला योजना के लिए केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म यहां क्लिक करके डाउनलोड करें
- आवेदन पत्र भरने के लिए मूल विवरण जैसे नाम, संपर्क विवरण, जन धन / बैंक खाता संख्या आधार कार्ड नंबर आदि आवश्यक हैं।
- सिलेंडर प्रकार यानी 14.2KG या 5KG की आवश्यकता का उल्लेख करें
- फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- भरे हुए फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम एलपीजी आउटलेट में जमा करें

दस्तावेजों की जरूरत है

नीचे भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:

1. पंचायत प्रधान / नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत बीपीएल प्रमाण पत्र
2. बीपीएल राशन कार्ड
3. एक फोटो आईडी (आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड)
4. एक हालिया पासपोर्ट आकार का फोटो
5. उज्ज्वला योजना आवेदन के लिए दस्तावेजों की पूरी सूची देखें जो आवश्यकता के आधार पर संलग्न किए जा सकते हैं।

किसी भी प्रश्न के लिए

वेबसाइट: “www.pmujiwalayojana.com”

टोल फ्री नंबर: 1800 266 6696